माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्र.   /09 निगरानी – 1663 - I\09

श्रीमती साबूबाई उर्फ गुड्डीबाई पिता माँगीलाल
पति बंसीलाल उर्फ बगदीराम, जाति–भील
निवासी–ग्राम मोरका, तहसील जावद,
हालमुकाम साबाखेड़ी, तहसील व जिला मंदसौर
..........आवेदक

---विरूद्ध---

1. नानीबाई बेवा गोपाल, जाति–भील
निवासी–ग्राम मोरका, तहसील जावद, जिला नीमच
2. गोकुल पिता घीसाजी, जाति–भील
निवासी–ग्राम बरखेड़ा, तहसील जावद, जिला नीमच
3. ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया,
तहसील जावद, जिला नीमच ....अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 198/07–08/अपील में पारित आदेश दिनांक 07/07/2009 से असंतुष्ट एवं दुःखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है–

1. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रेकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने आवेदक द्वारा उठाये गये वैधानिक बिन्दुओं को देखे व समझे बगैर आदेश पारित करने में महान वैधानिक त्रुटि की है।

3. यह कि आवेदिका मृतक माँगीलाल की एकमात्र पुत्री होकर उसकी वारीस है। माँगीलालजी की मृत्यु के पश्चात् आवेदिका द्वारा विधिवत् ग्राम पंचायत में नामान्तरण हेतु आवेदन

Contd.....2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1063-एक/09 **जिला** - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/9/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का परिसीलन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्रामसभा की कार्यवाही प्रस्ताव पंजी एवं सदस्यों की उपस्थिति पंजी का सूक्ष्मता से अवलोकन कर इस आधार पर नामांतरण निरस्त किया है कि सरपंच द्वारा वैध उत्तराधिकारियों की जानकारी प्राप्त किए बिना ही आवेदिका के नाम का नामांतरण का आदेश दिया है। एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान न देते हुए अपील निरस्त करने की भूल की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	